सवाल संख्या- 107   नकल [illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) हाथरस

वाद संख्या- 23   अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अ0
मौजा-कैलोरा तहसील- हाथरस।

डा0 वी0पी0 सिंह मदनावत   बनाम   सरकार

निर्णय

उक्त वाद की कार्यवाही डा0 वी0पी0 सिंह मदनावत पुत्र श्री युधिष्ठिर सिंह, निवासी नगला आल तहसील सिकन्दराराऊ जिला हाथरस द्वारा ज0वि0 और भू0व्यव0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.13 पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थी का नाम भूमि स्थित ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474हे0 लगानी 20.55 रूपये भूमि का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग के रूप में उपयोग मे न लाई जाकर अकृषिक प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तत्क्रम में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल से जांच कराई गई। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 13.02.2013 में "ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474हे0 लगानी 20.55 रूपये पर कृषि प्रयोग में नही लाये जाने के कारण इसे अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने बयानो में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोग में नही लाई जा रही है। अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में इस भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रार्थी का है, जो नियमो के विपरीत नही है। सम्बन्धित भूमि नियमानुसार ट्रान्सफर हुई है। यह भूमि कभी भी धारा 132, नजूल, वन विभाग, ग्रामसभा, नगरपालिका की नही रही है और इस भूमि पर मत्स्य एवं कुक्कुट पालन आदि नही हो रहा है। प्राप्त आख्या के आधार पर वाद योजित किया गया।

राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग-5 लखनऊ के पत्रांक 8164/5-49ए/03 दिनांक 28.01.04 में व्यवस्था है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग गैर कृषि उपयोग में किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखो में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचना हो रही है। राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग-5 लखनऊ के पत्रांक 6418/जी-5 22ए/07दिनांक 02.08.2007 में उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना इन्चार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यव0 अधि0 1950 की धारा 145 में प्राविधान है कि धारा-143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब-रजिस्ट्रार को भेजी जाये, जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में किसी बात के रहते हुये भी उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबंधित कर लेगा। प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवंचन रोका जाये। अतः शासनादेशों के अनुपालन में इस भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व परिषद अनुभाग-5 के पत्रांक 16697/5-28ए/08 दिनांक 22.06.10 में उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलक्टर स्वमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच करने पश्चात, जो नियत की जाये, उस का प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 1952 के नियम 135 एवं 136 मे धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है। परिषद द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि शहरी क्षेत्रो की आबादी के आस-पास की

13

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि जो सामान्यतया अकृषिक हो जाती है, के वास्तविक भू उपयोग का इन्द्राज न होने के कारण विक्रय अभिलेखों मे उसे कृषि भूमि के रूप में दिखाकर कम मूल्यांकन करके करापवंचन किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये उ0प्र0ज0वि0 और भू0व्यव0 अधि0 1950 की धारा 143 में प्राविधान है कि धारा 143 के प्रख्यापन तथा उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 1952 के नियम 135 व 136 मे दी गई व्यवस्थाओं के तहत जो भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाई जा रही है, प्रख्यापन कर उसको अभिलेखों में दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या एवं शासनादेशों के क्रम में मौजा ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474है0 लगानी 20.55 रुपये को स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित होने पर धारा–143 का प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रयोज्य होगा। आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार हाथरस को अभिलेखों में अंकित करने हेतु भेजी जाये तथा एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक हाथरस को उ0प्र0 ज0वि0अ0 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 सपठित नियम 137 में अपेक्षानुरूप इण्डियन रजिस्टेशन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यथाजत निबन्धित(दैनिक रजिस्टर) में कर, अपने हस्ताक्षर सहित न्यायालय में लौटा दें। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:–

उपजिलाधिकारी,
हाथरस।

21-2-2013
23-2-2013
23-2-2013
7502

प्रमाणित प्रतिलिपि

नकल अधिकारी/...
हाथरस

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

Scanned with CamScanner

सवाल संख्या - 127   [illegible] 7-[illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी, हाथरस।

वाद संख्या- 42

अन्तर्गत-143 ज०वि० एवं भू०व्य०अधिनियम
मौजा-कैलोरा तहसील-हाथरस।

डा० वी०पी०सिंह मदनावत   बनाम   सरकार

नकल आदेश

उक्त वाद की कार्यवाही डा० वी०पी०सिंह मदनावत कालेज [illegible] एजूकेशन [illegible] प्रोफेशनल कोर्सेज कैलोरा चौबहा द्वारा संस्थापक डा० वी०पी०मदनावत पुत्र [illegible] सिंह मदनावत निवासी नगला आल तहसील हाथरस के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। [illegible] अनुसार वादी डा० वी०पी०सिंह मदनावत कालेज आफ एजूकेशनल एण्ड प्रोफेशनल कोर्सेज कैलोरा चौबहा द्वारा संस्थापक डा० वी०पी०मदनावत पुत्र युधिष्ठर सिंह मदनावत निवासी नगला आल तहसील हाथरस की भूमि स्थित ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 111 गाटा संख्या 532 रकबा 0.473हे० लगानी 20.55 रूपये के संक्रमणीय भूमिधर है तथा उक्त भूमि [illegible] पक्के मकान बनाये हुये है तथा चारो ओर बाउण्ड्री वाल बनी हुयी है, जिसे आबादी के प्रयोग मे लाना चाहते है। भूमि को आबादी घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम मे उक्त की जांच तहसीलदार हाथरस से करायी गयी। तहसीलदार हाथरस द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपनी जांच आख्या दिनांक 24.12.09 द्वारा उपलब्ध कराते हुऐ अवगत कराया गया है कि ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 111 गाटा संख्या 532 रकबा 0.473हे० लगानी 20.55 रूपये मे कृषि कार्य नही कर रहे है। वर्तमान मे उक्त रकबा मे पक्के मकान व चारो ओर बाउण्ड्री वाल बनी हुयी है, आबादी घोषित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति की है। हल्का लेखपाल के ब्यान अभिलिखित कराये गये। हल्का लेखपाल द्वारा अपने ब्यान मे कहा है कि उक्त भूमि कृषि कार्य मे नही आ रही है, भूमि रिकार्डो के परिपेक्ष्य मे भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रार्थी का दर्ज है, किसी के [illegible] नही है। सम्बन्धित भूमि नियमानुसार [illegible] हुयी है तथा कोई भी धारा 132, नजूल, वन विभाग, ग्राम सभा/नगर पालिका की [illegible] आबादी घोषित किये जाने हेतु अभिलिखित कराये।

अतः तहसीलदार हाथरस की संस्तुति के आधार पर प्रश्नगत भूमि स्थित मौजा कैलोरा के गाटा संख्या 532 रकबा 0.473हे० लगानी 20.55 रूपये भूमि को कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक हाथरस को उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 145 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा एक प्रति तहसीलदार हाथरस को राजस्व अभिलेखो मे प्रविष्टि हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 5/5/X

[illegible] 8-6-2010
[illegible] 8-6-2010
[illegible] 8-6-2010
[illegible] 150 [illegible]
[illegible]
[illegible] 2

ह०- [illegible]
उप जिलाधिकारी,
हाथरस।

प्रतिलिपि
R. [illegible] 8/6/X
[illegible]

Scanned with CamScanner

खाता संख्या — 100

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) हाथरस

वाद संख्या- 33

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अ0

मौजा-कैलोरा तहसील-हाथरस।

डा0 वी0पी0 सिंह भदनावत बनाम सरकार

नकल निर्णय

उक्त वाद की कार्यवाही डा0 वी0पी0 सिंह भदनावत पुत्र श्री युधिष्ठिर सिंह, निवासी नगला आल तहसील सिकन्दराराऊ जिला हाथरस द्वारा ज0वि0 और भू0व्य0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.13 पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थी का नाम भूमि स्थित ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474है0 लगानी 20.55 रूपये भूमि का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा वर्तमान मे उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग के रूप मे उपयोग मे न लाई जाकर अकृषिक प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तत्क्रम मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल से जांच कराई गई। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 13.02.2013 मे "ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474है0 लगानी 20.55 रूपये पर कृषि प्रयोग मे नही लाये जाने के कारण इसे अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने बयानो मे उल्लेख किया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोग मे नही लाई जा रही है। अभिलेखो के परिप्रेक्ष्य मे इस भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रार्थी का है, जो नियमो के विपरीत नही है। सम्बन्धित भूमि नियमानुसार ट्रान्सफर हुई है। यह भूमि कभी भी धारा 132, नजूल, वन विभाग, ग्रामसभा, नगरपालिका की नही रही है और इस भूमि पर मत्स्य एवं कुक्कुट पालन आदि नही हो रहा है। प्राप्त आख्या के आधार पर वाद योजित किया गया।

राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग-5 लखनऊ के पत्रांक 8164/5-49ए/03 दिनांक 28.01.04 मे व्यवस्था है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग गैर कृषि उपयोग मे किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखो मे कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचना हो रही है। राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग-5 लखनऊ के पत्रांक 6416/जी-5-22ए/07दिनांक 02.08.2007 मे उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना इन्चार्ज असिस्टेन्ट कलैक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध मे उ0प्र0ज0वि0 एव भूमि व्यव0 अधि0 1950 की धारा 145 मे प्राविधान है कि धारा-143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब-रजिस्ट्रार को भेजी जाये, जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मे किसी बात [illegible] रहते हुये भी उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबंधित कर लेगा। प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवंचन रोका जाये। अतः शासनादेशों के अनुपालन मे इस भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व परिषद अनुभाग-5 के पत्रांक 16697/5-28ए/08 दिनांक 22.06.10 मे उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलक्टर स्वमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच करने पश्चात, जो नियत की जाये, उस का प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध मे उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 1952 के नियम 135 एवं 136 मे धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है। परिषद द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि शहरी क्षेत्रो की आबादी के आस-पास की

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि जो सामान्यतया अकृषिक हो जाती है के वास्तविक भू उपयोग का इन्द्राज न होने के कारण विक्रय अभिलेखों में उसे कृषि भूमि के रूप में दिखाकर कम मूल्यांकन करके करापवंचन किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये उ0प्र0ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0 1950 की धारा 143 में प्राविधान है कि धारा–143 के प्रख्यापन तथा उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 1952 के नियम 135 व 136 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत जो भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाई जा रही है, प्रख्यापन कर उसको अभिलेखों में दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या एवं शासनादेशों के कम में मौजा ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474है0 लगानी 20.55 रूपये को स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित होने पर धारा–143 का प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रयोज्य होगा। आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार हाथरस को अभिलेखों में अंकित करने हेतु भेजी जाये तथा एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक हाथरस को उ0प्र0 ज0वि0अ0 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 सपठित नियम 137 में अपेक्षानुरूप इण्डियन रजिस्टेशन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यथावत निबन्धित(दैनिक रजिस्टर) में कर, अपने हस्ताक्षर सहित न्यायालय में लौटा दें। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांकः–

18/2/13

उपजिलाधिकारी,
हाथरस।

प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार/मोहर्रिर
हाथरस

18-2-2013
21-2-2013
21-2-2013
450

COURT FEE INDIA
FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये
TWO RUPEES

COURT FEE INDIA
FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये
TWO RUPEES

INDIA
FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये
TWO RUPEES

INDIA
FOR COPYING FEES ONLY
रुपये
RUPEES

Scanned with CamScanner